UPME010119502023

न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

पीठासीन अधिकारी- चन्द्र शेखर मिश्र (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे०ओ०कोड संख्या यू०पी०- 6292

<u>दाण्डिक वाद सं0-1027/2023</u>

उत्तर प्रदेश सरकार ....अभियोगी

प्रति

1-देवेन्द्र पुत्र करते राम निवासी धनौटा, थाना खरखौदा, जिला मेरठ।

......अभियुक्त

मु0 अ 0 सं0-2476/2020
धारा-135 विद्युत अधिनियम
थाना-ए०पी०टी० ,जिला मेरठ।

निर्णय

1- विवेचक अमरीश कुमार त्यागी उपनिरीक्षक ए०पी०टी०, जनपद मेरठ के द्वारा मु0 अ 0 सं0-2476/2020, धारा-135 विद्युत अधिनियम, थाना ए०पी०टी०, जिला मेरठ के प्रकरण में विवेचना के उपरान्त अभियुक्त देवेन्द्र के विरूद्ध धारा-135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर यह आपराधिक वाद सृजित हुआ है तथा अभियुक्त का विचारण किया गया।

2- अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी चन्द्र शेखर मौर्य अवर अभियन्ता मेरठ देहात, द्वारा थानाध्यक्ष थाना ए०पी०टी० जनपद मेरठ को इस आशय की लिखित सूचना प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 09.07.2020 को उनके द्वारा अन्य विद्युत कर्मचारीगण के साथ की गयी विद्युत चैकिंग के दौरान अभियुक्त स्वीकृत संयोजन के मीटर की इनकमिंग केबिल के अतिरिक्त पास की एल०टी०लाईन से दो कोर का केबिल जोड़कर परिसर में लाकर 846 वाट भार विद्युत का अवैध रूप से उपभोग करते पाया गया, जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मु0 अ 0 सं0-2476/2020, अन्तर्गत धारा-135 विद्युत अधिनियम, थाना ए०पी०टी०, जिला मेरठ पर पंजीकृत हुआ।

3- प्रकरण की विवेचना, विवेचक को हस्तगत की गयी, जिसके द्वारा विवेचना के मध्य साक्षीगण के अभिकथन अंकित किये गये, घटना स्थल का नक्शा-नजरी तैयार किया गया तथा अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य पाते हुये आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया है।

4- अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक (विद्युत) को सुनने के उपरान्त दिनांक 22.05.2026 को अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम(संशोधन) 2003 की धारा 135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने आरोप से इन्कार किया व विचारण की याचना की। अतः पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत की गयी।

5- अभियोजन ने अपने कथानक के समर्थन में अभियोजन साक्षी-1 के रूप में का0 अक्षय कुमार को सशपथ परीक्षित कराते हुए अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में घटना स्थल का नक्शा-नजरी प्रदर्श क-1, आरोप पत्र प्रदर्श क-2 साबित कराये गये है। अभियोजन के द्वारा पत्रावली पर अपना साक्ष्य समाप्त किये जाने पर पत्रावली अभियुक्त के कथन धारा 313 द0प्र0सं0 हेतु नियत की गयी।

6- अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित कराये गये। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा साक्षी द्वारा गलत गवाही देने का कथन किया। मुकदमा झूठा चलना बताया।

7- अभियुक्त द्वारा पत्रावली पर बचाव साक्ष्य के रूप में नोटिस व अधिशासी अभियन्ता द्वारा थानाध्यक्ष थाना ए०पी०टी०, कंकरखेड़ा, मेरठ को प्रेषित पत्र की प्रति दाखिल की गयी है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त द्वारा शमन धनराशि अंकन 2,000/- रूपये रसीद संख्या 060091446670 एवं 10 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन धनराशि अंकन 2,000/- रूपये रसीद संख्या 060124515710 दिनांक 28.02.2026 एवं 60 प्रतिशत धनराशि रूपये अंकन 1011/- रसीद संख्या 060261578888 दिनांक 28.02.2026 को विद्युत विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर ली गयी। जिसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड किठौर द्वारा पत्रांक- 11842 वि०/वि०/खं०किठौर मेरठ दिनांक- 09.03.2026 से सम्बन्धित थानाध्यक्ष थाना ए०पी०टी०, कंकरखेड़ा जिला मेरठ को सम्बोधित करते हुए पृष्ठांकित की गयी है।

8- उभय पक्षों का साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

9- मैनें विद्युत विभाग के विद्वान विशेष अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

10- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त द्वारा विद्युत विभाग को देय शमन शुल्क धनराशि जमा कर दी गयी है।

11– अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0 डब्लू–1 का० अक्षय कुमार ने अपने साक्ष्य में मामले की विवेचना को एस०आई० अमरीश कुमार त्यागी के द्वारा किये जाने का कथन करते हुए उनके द्वारा तैयार किये गये नक्शा नजरी को प्रदर्श क–1 तथा आरोप पत्र को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है।

12– इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी।

13– अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, अपितु अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वारा थानाध्यक्ष थाना ए०पी०टी०, कंकरखेड़ा जनपद मेरठ को सम्बोधित पत्रांक 11842 वि०/वि०/खं०किठौर मेरठ दिनांक– 09.03.2026 से सम्बन्धित थानाध्यक्ष थाना ए०पी०टी०, कंकरखेड़ा की प्रति प्रस्तुत की है जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा शमन धनराशि विद्युत विभाग में जमा कर दी गयी है। यह पत्र इस न्यायालय एवं अन्य को भी पृष्ठांकित है, इस पत्र के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध कोई अन्य कार्यवाही शेष नहीं है। उक्त प्रलेखों को विद्युत विभाग के विशेष अभियोजक द्वारा असत्य होने का कोई कथन नहीं किया गया बल्कि उसकी सत्यता को स्वीकार होने का कथन ही बहस के समय किया गया।

14- विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152(2) के प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि यदि अभियुक्त ने विद्युत अधिनियम की धारा 152(1) के अनुसार विद्युत विभाग में अपराध का शमन करा लिया है, तो यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो उसे स्वतन्त्र किया जायेगा, और किसी दाण्डिक न्यायालय में ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरूद्ध कोई दाण्डिक वाद संस्थित नहीं किया जायेगा अथवा कोई दाण्डिक कार्यवाही जारी नहीं रखी जायेगी।

15- धारा-152(3) विद्युत अधिनियम में यह भी उपबन्धित हैं, कि धारा-152(1) के अनुसार अपराध का समाधान करने के लिए धनराशि की स्वीकृति का द0प्र0सं0 1973 की धारा-300 के अन्तर्गत दोषमुक्ति के समतुल्य माना जायेगा, क्योंकि अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क तथा राजस्व निर्धारण जमा करा दिया गया है। अतः अभियुक्त धारा 152(3) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दोषमुक्त किये जाने का अधिकारी है।

16- अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे यह प्रकट हो कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में भी ऐसा कोई अपराध किया गया हो।

17- अभियुक्त ने विद्युत विभाग में नियमानुसार शमन शुल्क जमा करके अपराध का शमन करा लिया है। जैसा कि अधिशासी अभियन्ता के पत्र से भी स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत अपराध को समाप्त किये जाने की याचना की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये अपराध आरोप को बल मिलता हो। अतएव इस निर्णय का उपसंहार करते हुए इन परिस्थितियों में अभियुक्त द्वारा जुर्माना/शमन शुल्क एवं अन्तिम राजस्व निर्धारण समस्त बकाया जमा किये जाने के आधार पर अभियुक्त धारा 135 भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन)2003 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त देवेन्द्र पुत्र करते राम निवासी धनौटा, थाना खरखौदा, जिला मेरठ को वाद संख्या 1027/2023, मु0अ0सं0-2476/2020, धारा-135 विद्युत अधिनियम, थाना ए०पी०टी०, जिला मेरठ के प्रकरण में लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानत प्रपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उसके प्रतिभूगणों को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संग्रहीत हो।

दिनांक-04.06.2026

(चन्द्र शेखर मिश्र)
विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक-04.06.2026

(चन्द्र शेखर मिश्र)
विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट), मेरठ।

Digitally signed by CHANDRA SHEKHAR MISRA
Date: 2026.06.05 16:48:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court